मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 / 02 /2022

क्रमांक एफ 16-32/2021/ए-ग्यारह :- राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स प्रतिभा सिन्टेक्स लिमिटेड द्वारा पीथमपुर स्थित विद्यमान इकाईयों में लगभग रू. 145.26 करोड़ के कुल पूंजी निवेश (प्लांट मशीनरी एवं भवन में रू. 116.50 करोड़) से स्पिंनिग, निटिंग, प्रोसेसिंग एवं गार्मेटिंग इकाई में विस्तार एवं आधुनिकीकरण तथा कैप्टिव सोलर पावर प्लांट स्थापना प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये –

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** – उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।

2. **ब्याज अनुदान** :- उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधान अनुसार टेक्सटाईल्स उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 06.04.2007- सी 71, नई दिल्ली नवम्बर, 2007 में वर्णित टफ अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

3. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - कम्पनी द्वारा परियोजना अन्तर्गत नियोजित किये गये मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रति नवीन कर्मचारी के प्रशिक्षण हेतु रूपये 13000 की सहायता 5 वर्षों के लिये, अधिकतम सीमा 2.50 करोड़, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

4. **रोजगार सृजन अनुदान**- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 02 वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रूपये 5000 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह हेतु 5 वर्ष तक शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

5. **रिहायशी इकाईयों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति**- इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 01.00 करोड (एक करोड़), की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा अधोसंरचना विकास अनुदान के मद से की जाये।

6. **विद्युत टैरिफ में रियायत**- परियोजना अन्तर्गत लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु प्रचलित विद्युत टैरिफ में रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत

नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

7. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

8. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये। इकाई के विस्तार अंतर्गत स्थाई पूंजी निवेश की गणना 01 जनवरी, 2021 से की जायेगी।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-32/2021/ए-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 14 /02 /2022**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इन्दौर, संभाग, इन्दौर।
6. कलेक्टर, जिला धार ।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स प्रतिभा सिन्टेक्स लिमिटेड, 701, एनआरके, बिजनिस पार्क, स्कीम नं. 54, विजय नगर स्क्वायर, इंदौर ।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग